

संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय  
भोपाल

पुरावशेष एवं पुरानी कलाकृतियों के क्रय हेतु आमंत्रण सूचना।

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृतियों के क्रय के लिए सभी संस्था/फर्म/ट्रस्ट/एजेन्सी/व्यक्ति/उम्मीदवार को निर्धारित प्रपत्र में मुहरबंद/प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। उपरोक्त सामग्री क्रय हेतु अन्य शर्तें कार्यालय से दिनांक 20.02.2018 को अपराह्न 5:00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है आपके निजी क्षेत्र में यदि कोई पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति उपलब्ध है, जिस पर आपका पूर्ण अधिपत्य है। उसे आप विभाग को विक्रय करना चाहते हैं, तो उक्त सामग्री के छायाचित्र अधोहस्ताक्षरकर्ता को दिखा कर आवेदन के साथ संलग्न करते हुए आपना प्रस्ताव दिनांक 15.03.2018 तक अपराह्न 3:00 बजे तक कार्यालय में जमा किया जा सकता है।

प्राप्त आवेदनों/प्रस्तावों को पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृतियों की क्रय समिति के समक्ष रखा जावेगा। समिति के अनुशंसा के आधार पर पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृतियों की निर्धारित कीमत आपको अवगत करायी जावेगी एवं आपसे अनुबंध करने के उपरान्त पुरावशेष कीमत का भुगतान किया जा सकेगा। पुरावशेषों को क्रय करने संबंधी समस्त अधिकार आयुक्त पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय भोपाल को होंगे।

क्रय किये जाने वाले पुरावशेष एवं कलाकृतियों का स्वरूप निम्नानुसार होगा— प्राचीन दुर्लभ प्रतिमा/धातु प्रतिमा/अस्त्र शस्त्र/ब्रान्ज प्रतिमा/कास्य प्रतिमा/प्राचीन सिक्के/प्राचीन शिलालेख/प्राचीन दुर्लभ अभिलेख/पेटिंग/कास्ट कलाकृतियां आदि पुरावशेष।

1. क्रय किये जाने वाले कलाकृति कम से कम 100 वर्ष से अधिक प्राचीन होना अनिवार्य होगा, जिसका पूर्ण विवरण प्राप्ति स्थल/स्त्रोंत तथा सामग्री का आकार/प्रकार/वजन आवेदन में दर्शाना होगा।
2. सामग्री राजघराने व स्थानीय शैली की ऐतिहासिक परिवेश को दर्शाने वाली होना अनिवार्य है।
3. पुरावशेष/कलाकृतियां दुर्लभता की श्रेणी में होना चाहिए, जो भूतकाल के स्मरणीय घटना को प्रदर्शित कर सके।
4. पुरावशेष क्रय उपरान्त शासकीय सामग्री होगी, जो पुनः किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जा सकेगी।

१८०९

आवर संचिय  
मध्य प्रदेश शासन  
संस्कृति विभाग मंत्रालय

W.K. Arora

D.D.T.

पुरातत्व अभिलेखागार संघ संस्थाओं से  
स. प्र. भोपाल